राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

क्रमांकः एफ I (321)/रा.प्र.नि.मं./ स्था./2405-2417 दिनांकः 11.01.2016

कार्यालय आदेश

पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांकः प.1(1)पर्या/2002 पार्ट 2 जयपुर, दिनांक 20.07.2015 के अनुक्रमण में दो नये क्षेत्रीय कार्यालय निम्नानुसार स्थापित करने के आदेश जारी किये जाते हैं।

क.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय–मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1.	जयपुर (दक्षिण)	जयपुर जिले की सांगानेर, फागी, बस्सी, दूदू, चाकसू, कोटखावदा एवं मोजमाबाद तहसीलें तथा जयपुर शहर के अजमेर रोड़, एम.आई.रोड़, आगरा रोड़ के दक्षिण की तरफ स्थित क्षेत्र एवं जिला दौसा
2.	भिवाड़ी	अलवर जिले की तहसील तिजारा

वर्तमान में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (उत्तर) के नाम से जाना जायेगा जिसका क्षेत्राधिकार जयपुर जिले की आमेर, जमवारामगढ़, चौमू, शाहपुरा, विराट नगर, कोटपुतली, किशनगढ़ रेनवाल, सांभर तहसीलें एवं जयपुर शहर के अजमेर रोड़, एम.आई.रोड़, आगरा रोड़ के उत्तर की तरफ स्थित क्षेत्र रहेगा। नये क्षेत्रीय कार्यालय हेतु परिसर उपलब्ध होने तक क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (दक्षिण) का कार्यालय मण्डल मुख्यालय परिसर में होगा। क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर का क्षेत्राधिकार तहसील तिजारा को छोड़कर समस्त जिला अलवर रहेगा। क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर (उत्तर) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, अलवर अपने कार्य के साथ साथ क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (दक्षिण) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाड़ी का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेगें।

—s.d.—

(के॰सी॰ए॰ अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ I (321)/रा.प्र.नि.मं./ स्था./2405-2417 दिनांकः 11.01.2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
6. वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (प्रशासन), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं., जयपुर (उत्तर/दक्षिण)।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं., अलवर/भिवाड़ी।
9. आहरण वितरण अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
10. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
11. मुख्य पत्रावली।

सदस्य सचिव